राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(61)/ग्राविवि – 5/मैसन प्रशिक्षण/ 2016–17 जयपुर, दिनांक 08 सितम्बर 2016

::बैठक कार्यवाही विवरण::

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने की समीक्षा हेतु प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नानुसार अधिकारियों ने भाग लिया :–

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान।
2. श्री एस. के. अग्रवाल, प्रोफेसर, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि), ग्रामीण विकास विभाग।
4. श्री अश्वनी जोशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CSDCI, नई दिल्ली।
5. श्रीमती मोना छाबड़ा आनन्द, सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. श्री पी. सी. गोयल, सहायक प्रोफेसर,
7. श्री वरूण शर्मा, प्रोग्राम कोडीनेटर, अरावली।
8. श्री दिलीप यादव, क्षेत्रीय समन्वयक, अरावली।

शासन सचिव, महोदय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए शेष समय में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने हेतु कार्य योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रशिक्षण से सम्बन्धित ग्रामीण विकास मंत्रालय, CSDCI, अरावली, IGPR&GVS, से सम्बन्धित सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा कर निम्नानुसार अन्तिम निर्णय लिये गये :–

1. IGPR&GVS एवं अरावली संस्थान को इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में CSDCI से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्तुतीकरण लेकर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं को अपने–अपने संस्थानों के नियमानुसार सूचिबद्ध करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर 16.09.2016 तक संस्थाओं को सूचिबद्ध करने की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. CSDCI को भी अपने स्तर से उनसे सम्बद्ध संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. प्रशिक्षण हेतु आवश्यक ToT प्रथम चरण में CSDCI के माध्यम से भीलवाडा जिले में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में IGPR&GVS के अधीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रयोगशाला में पर्याप्त संशाधन नहीं होने के मध्यनजर सभी 6 पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों में आवश्यक प्रशिक्षण हेतु CSDCI द्वारा आवश्यक संसाधनों की सूची अनुसार आधारभूत आवश्यकताओं के सृजन हेतु इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
4. एक पायलॅट प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से जिला परिषद् भीलवाडा द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों, लाभार्थियों के यहां इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा एवं एक पायलॅट अरावली संस्थान द्वारा जिला परिषद् टोंक द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों एवं लाभार्थियों के यहां प्रारम्भ कर दिये जाने के निर्देश दिये गये।

D:\iay\meeting notice n agenda\meeting mi.docx

5. उक्त प्रशिक्षण हेतु CSDCI द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षकों/प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं का सहयोग संस्थान के नियमानुसार ले लिया जावें। CSDCI द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में उनके द्वारा आईएलएण्डएफएस, स्कील डवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन एवं क्रेडल लॉईफ साईंस प्राईवेट लिमिटेड को सम्बद्ध कर चार दक्ष प्रशिक्षक तैयार किये गये है, जिनका उपयोग कर पायलॅट प्रशिक्षण प्रारम्भ कर लिया जावें।
6. इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि से प्रशिक्षण आयोजित कर सकेगें एवं अरावली संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में उनको उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। अरावली संस्थान एवं इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान को निर्देशित किया गया कि इस बाबत् आवश्यक राशि के विस्तृत प्रस्ताव भिजवाये जिसके अनुसार विभाग को अविलम्ब प्रशिक्षण हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्यों के क्रम में जिलों को आवंटित 8000 मैसन तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम अरावली संस्थान एव IGPR&GVS, राजस्थान के माध्यम से आयोजित कराने का निर्णय लिया गया।
7. CSDCI द्वारा सम्बद्ध संस्थान/प्रमाणित प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, क्योंकि राज्य को आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति लगभग 750 डेमोस्ट्रेटर एवं 250 सुपरवाईजरों की आवश्यकता होगी।
8. इस क्रम में विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित BFT को सुपरवाईजर के रूप में काम में लिया जा सकता है, जिस हेतु CSDCI द्वारा कम से कम 30 BFT को (पॉच दिवसीय) प्रशिक्षण एवं विभागीय अभियन्ताओं का (दो दिवसीय) प्रशिक्षण दिये जाने की सहमति प्रदान की गई।
9. प्रशिक्षित BFT को मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुपरवाईजर की सेवाओं के क्रम में आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा को आवश्यक निर्देश जारी करने/कार्यवाही बाबत् अवगत कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि को निर्देशित किया गया।
10. मैसन प्रशिक्षण आयोजन कराने के लिए पीडी कोर संस्थान को भी इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा ट्रेनिंग पार्टनरों के रूप में आमन्त्रित किया जावेगा।
11. CSDCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एवं अरावली संस्थान, राजस्थान को स्वतः सम्बद्धता प्रदान कर दी जावेगी।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एंव पंरावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, स्टेट मिशन डॉरेक्टर, राजीविका, उद्योग भवन।
7. निदेशक (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
8. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. श्रीमती मोना आन्नद छाबडा, सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
10. श्री अश्वनी जोशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CSDCI, नई दिल्ली।
11. अतिरिक्त निदेशक, आईजीपीआरएस, जयपुर।
12. कार्यक्रम निदेशक, अरावली, पटेल भवन, एचसीएमरीपा जयपुर।
13. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।

8/5/16

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)